संयुक्त सचिव–सह–निदेशक NULM, नगर विकास एवं आवास विभाग की अध्यक्षता में दीनदयाल अन्त्योदय योजना – राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन की दिनांक–04/06/2021 को आयोजित समीक्षा बैठक की कार्यवाही –

उपस्थिति

1. श्री संजीव पाण्डेय – टीम लीडर
2. श्री वेद प्रकाश – राज्य परियोजना समन्वयक
3. श्री शशि भरत – राज्य मिशन प्रबंधक (FI&SEP)
4. श्री अरुनी राजा – राज्य मिशन प्रबंधक (EST&P)
5. सुश्री सोनल सिन्हा – राज्य मिशन प्रबंधक (SUSV)
6. श्री आशीष पाठक – राज्य मिशन प्रबंधक (SM&ID)
7. श्री अमिताभ कुमार – राज्य मिशन प्रबंधक (CB&T)
8. श्री रौशन कुमार – राज्य मिशन प्रबंधक (MIS)
9. श्री आकर्ष गौरव – परियोजना समन्वयक (SUH)

कार्यवाही

DAY-NULM योजनान्तर्गत सभी राज्य मिशन प्रबंधकों एवं अन्य कर्मी द्वारा निष्पादित किये जाने वाले कार्यों तथा विभिन्न घटकों के अधीन शहरी गरीबी के उन्मूलन हेतु किये जानेवाले कार्यों से संयुक्त सचिव–सह–मिशन निदेशक, नगर विकास एवं आवास विभाग को अवगत कराया गया।

संयुक्त सचिव–सह–मिशन निदेशक द्वारा की गई समीक्षा के क्रम में घटकवार निम्न निदेश दिए गए –

1. सामाजिक जागरूकता एवं संस्थागत विकास (SM&ID) –

- नगर निकायों द्वारा गठित ऐसे स्वयं सहायता समूह (SHG) जो निष्क्रिय है को handholding support प्रदान कर उन्हें आजीविका से जोड़ने हेतु प्रयास किया जाए।
- राज्य में गठित कुल SHGs की तुलना में चक्रचालित राशि प्राप्त करने वाले SHGs की संख्या बहुत कम है जबकि योजना अंतर्गत सभी पात्र SHGs को चक्रचालित राशि दिया जाना है। इस हेतु निदेश दिया गया कि योजना बनाकर पात्र SHGs को चक्रचालित राशि उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए। SHGs को चक्रचालित राशि मिलने के सम्पुष्टिकरण हेतु इसकी प्रविष्टि सम्बंधित पोर्टल पर ससमय हो इस आशय का पत्र निर्गत किया जाए। ***(अनुपालन: सभी नगर निकाय एवं राज्य मिशन प्रबंधक – SM&ID)***
- नगर निकायों द्वारा गठित क्षेत्र स्तरीय संघों (ALFs) की संख्या SHGs के संख्या के अनुपात में कम है जिसको बढ़ाने की दिशा में अपेक्षित कार्यवाई करने का निदेश दिया गया।
- ALF के निबंधन तथा निबंधन के उपरांत नगर निकायों द्वारा प्रदान की जाने वाली चक्रचालित राशि की संख्या में भिन्नता पायी गयी है। इस सम्बन्ध में निदेशित किया गया कि आगामी तीन माह में सभी निबंधन योग्य क्षेत्र स्तरीय संघों का निंबंधन

कराते हुए उन्हें नगर निकाय के माध्यम से चक्रचालित राशि उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए। ***(अनुपालन: सभी नगर निकाय एवं राज्य मिशन प्रबंधक – SM&ID)***

- नगर निकायों द्वारा गठित क्षेत्र स्तरीय संघों (ALFs) के निबंधन के सम्बन्ध में सभी नगर निकायों को इससे सम्बंधित अद्यतन प्रतिवेदन तथा निबंधन की प्रक्रिया से संबंधित दस्तावेजों की सूची एवं checklist उपलब्ध कराया जाए जिससे दस्तावेजों के जांच पश्चात निबंधन की प्रक्रिया में तेजी लायी जा सके।

- ALFs के निबंधन में तेजी लाने के लिए सभी जिला सहकारिता पदाधिकारी निबंधन प्रक्रिया को ससमय निष्पादित करने हेतु अधोहस्ताक्षरी के स्तर से "DO Letter" भेजा जाए। ***(अनुपालन: राज्य मिशन प्रबंधक –SM&ID)***

- जिन स्वयं सहायता समूहों द्वारा Masks एवं sanitizer का निर्माण किया गया है और निकायों द्वारा उसका क्रय किया गया हो उसका ससमय भुगतान कराने का निदेश दिया गया। इस सम्बन्ध में सभी नगर निकायों को पत्र दिए जाने का भी निदेश दिया गया। ***(अनुपालन: सभी नगर निकाय एवं राज्य मिशन प्रबंधक – SM&ID)***

- नगर निकाय के माध्यम से SHGs द्वारा निर्मित ऐसे उत्पादों की सूची तैयार की जाये जिसकी मांग खुले बाज़ार में हो तथा इन SHGs के लिए उत्पाद के पैकेजिंग, विपणन एवं बिक्री से संबंधित प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए। ***(अनुपालन: राज्य मिशन प्रबंधक – SM&ID)***

- ऐसे सभी स्वयं सहायता समूह जिनके द्वारा बचत एवं आर्थिक गतिविधि की जा रही है का एक database तैयार किया जाए जिसमें उनके द्वारा निर्मित उत्पाद, उसकी मार्केटिंग एवं लाभ आदि का विवरण अवश्य होना चाहिए।

- प्रत्येक नगर निकाय से कम से कम ऐसे दो SHGs का चयन किया जाए जो व्यवसाय या बस्तुओं का उत्पादन गुणवत्ता के साथ कर आर्थिक लाभ ले रहें हैं। इन SHGs द्वारा किए जा रहे कार्यों को मॉडल के रूप में प्रस्तुत कर अन्य SHGs को प्रेरित करने का प्रयास किया जाए। ***(अनुपालन: राज्य मिशन प्रबंधक – MIS&ME एवं राज्य मिशन प्रबंधक – SM&ID)***

- सभी नगर निकायों में गठित स्वयं सहायता समूहों की संख्या को आधार बनाते हुए तथा विभाग द्वारा निर्गत मार्गदर्शिका के अनुरूप यदि आवश्यक हो तो CRP के संख्या में वृद्धि से सम्बंधित प्रस्ताव नगर निकायों को भेजा जाए। ***(अनुपालन: राज्य मिशन प्रबंधक – CB&T एवं राज्य मिशन प्रबंधक – SM&ID)***

2. स्वरोजगार कार्यक्रम एवं वित्तीय समावेशन (SEP&FI) –

- नगर निकायों द्वारा गठित ऐसे स्वयं सहायता समूह (SHG) जिन्हें चक्रचालित राशि प्रदान कर दी गयी है की संख्या कुल गठित स्वयं सहायता समूहों का मात्र 10 प्रतिशत है। निदेश दिया गया की सभी पात्र SHGs को तुरंत चक्रचलित राशि मुहैया कराई जाए तथा सभी योग्य SHGs को बैंकों द्वारा ऋण दिलाने से सम्बंधित roadmap तैयार किया जाए ताकि विभाग के स्तर से सम्बंधित को यथोचित निदेश दिया जा सके। ***(अनुपालन: राज्य मिशन प्रबंधक – SEP&FI)***

- योजना की प्रगति हेतु संयोजक, SLBC तथा सभी बैंकों को वार्षिक लक्ष्य, कुल समर्पित आवेदन तथा बैंकों के पास लंबित आवेदनों की संख्या संबंधी जानकारी दी जाए एवं इस माह में होने वाली SLBC की बैठक के 15 दिनों के उपरांत सभी के साथ VC के माध्यम से बैठक आयोजित की जाए। ***(अनुपालन: राज्य मिशन प्रबंधक – SEP&FI)***

3. कौशल प्रशिक्षण एवं नियोजन के माध्यम से रोजगार (EST&P) –

- Covid-19 से उत्पन्न महामारी के कारण इस घटक अंतर्गत सभी प्रशिक्षण कार्यक्रम को राज्य सरकार द्वारा 05 अप्रैल, 2021 से स्थगित कर दिया गया है। चूकि शहरी एवं आवासन कार्य मंत्रालय के द्वारा राज्य को लक्ष्य निर्धारित है अतएव इसकी प्राप्ति हेतु action plan एवं अन्य प्रस्ताव जैसे Recognition of Prior Learning (RPL) तथा Indian Plumbing Sector Skill Council (IPSC) से प्राप्त प्रस्ताव पर अनुमति हेतु संचिका शीघ्र उपस्थापित की जाए। ***(अनुपालन: राज्य मिशन प्रबंधक – EST&P)***

4. फूटपाथ विक्रेताओं हेतु सहायता (SUSV) –

- जिस नगर निकायों को वेंडिंग ज़ोन के निर्माण हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी है उन्हें निर्धारित समय सीमा में कार्य पूर्ण करने संबंधी निदेश दिया जाए। इस सम्बन्ध में समीक्षा हेतु निकायों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक भी आयोजित की जाये। ***(अनुपालन: राज्य मिशन प्रबंधक – S&SI)***

- अधिकतर नगरीय क्षेत्रों में वेंडिंग जोन बनाने हेतु उपयुक्त municipal land उपलब्ध नहीं हैं। अतः नगर निकायों में ऐसे क्षेत्र जहाँ बड़ी संख्या में street vendors अव्यवस्थित ढंग से व्यवसाय करते हों उसे सुव्यवस्थित करना एक बेहतर उपाय हो सकता है। इस संबंध में SUSV घटक अंतर्गत वर्तमान विक्रय क्षेत्रों को नियंत्रित करना तथा इन विक्रय क्षेत्रों में यदि आवश्यक हो तो अवसंरचना में सुधार करने हेतु नगर निकायों को निदेश दिया जाए। ***(अनुपालन: राज्य मिशन प्रबंधक – S&SI)***

5. शहरी गरीब हेतु आश्रयस्थल (SUH) –

- नगरीय क्षेत्रों में योजना अंतर्गत निर्मित आश्रय स्थलों में अच्छी सुविधा होने के बाद भी occupancy की दर कम है। चूंकि नगर निकायों में वार्ड पार्षद की महत्वपूर्ण भूमिका है एवं वह नगर निकाय के स्थानीय परिस्तिथि से अवगत है अतः वार्ड पार्षदों को निराश्रितों को आश्रय स्थल तक पहुँचाने के प्रयास में सहयोग करने हेतु एक अनुरोध पत्र निर्गत किया जाए। ***(अनुपालन: परियोजना समन्वयक – SUH)***

- नगर निकायों को निराश्रितों के mobilization हेतु IEC गतिविधि करने हेतु निर्देशित किया जाए। ***(अनुपालन: परियोजना समन्वयक – SUH)***

- आश्रय स्थल के संचालन एवं प्रचालन में लगे प्रबंधक एवं केयरटेकर को निराश्रितों के mobilization से सम्बंधित प्रशिक्षण एवं समीक्षा मासिक रूप से की जाये ताकि कार्यरत कर्मियों को इस सम्बन्ध में जानकारी हो सके और वे संचालन एवं प्रचालन के कार्य को बेहतर तरीके से कर सकें। ***(अनुपालन: राज्य मिशन प्रबंधक – CB&T)***

6. अन्यान् -

- PMC-NULM को निदेशित किया गया कि निकाय स्तर पर योजना से जुड़े सभी कर्मी का मासिक रूप से वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से समीक्षा एवं क्षमतावर्धन के कार्यक्रम यथावत कराया जाए ताकि योजना में अपेक्षित प्रगति लायी जा सके। इस सम्बन्ध में यह भी निदेश दिया गया की समय-समय पर Covid-19 से उत्पन्न महामारी के रोकथाम हेतु सरकार द्वारा निर्गत मार्गदर्शिका से भी उनको अवगत कराया जाये ताकि वो अन्य नागरिकों को जागरूक कर सकें। ***(अनुपालन: राज्य मिशन प्रबंधक - CB&T)***

- PMC-NULM को निदेशित किया गया कि निकाय के स्तर पर योजना के MIS पोर्टल पर data entry का अनुश्रवण एवं इससे संबंधित क्षमता वर्धन के कार्यक्रम यथावत मासिक रूप से कराये जाए। यदि किसी नगर निकाय के द्वारा प्रगति संबंधी data upload नहीं किया जा रहा है तो इस बिंदु पर कार्रवाई हेतु सम्बंधित निकाय को पत्र निर्गत किया जाए। यदि आवश्यकता हो तो अधोहस्ताक्षरी के स्तर से वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से भी समीक्षा करायी जाए। ***(अनुपालन: राज्य मिशन प्रबंधक - MIS&ME)***

- PMC-NULM को निदेशित किया गया कि MoHUA, भारत सरकार से प्राप्त निदेश के आलोक में सभी नगर निकायों में PFMS पोर्टल पर EAT कंप्लायंस सुनिश्चित कराया जाए। इस आशय का निदेश सभी निकायों को दिया जाए।

- दिनांक - 15.06.2021 तक जिन नगर निकायों द्वारा EAT का compliance नहीं किया जाता है उनके साथ वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी के स्तर से बैठक का आयोजन कराया जाए। ***(अनुपालन: सभी नगर निकाय एवं राज्य मिशन प्रबंधक - MIS&ME)***.

संयुक्त सचिव-सह-निदेशक 21
नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांक-03/NULM-5/21 2024 **न०वि०एवं आ०वि० पटना, दिनांक-** 10/06/21

प्रतिलिपि -:
1. प्रधान सचिव के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।
2. सभी नगर निकायों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।
3. टीम लीडर, DAY-NULM को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त सचिव-सह-निदेशक 08.06.21